सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र**
**विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE**
**Extraordinary**

**साधिकार प्रकाशित**

**Published by Authority**

चैत्र 15, बुधवार, शाके 1945-अप्रेल 05, 2023
*Chaitra 15, Wednesday , Saka 1945- April 05, 2023*

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुटिटयों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

**बाल अधिकारिता विभाग**

अधिसूचना

**जयपुर, अप्रैल 05, 2023**

**संख्या एफ**20(9)(2)**बाअवि/किन्याअ/बाकस /मनोनयन** /2023/**279 :-**किशोर न्याय **(**बालकों की देखरेख और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2015** की धारा **4** एवं किशोर न्याय **(**बालकों की देखरेख और संरक्षण**)** आदर्श नियम**, 2016** के नियम **4(2)** के अन्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विधि से संघर्षरत बच्चों के प्रकरणों की जांच, सुनवाई एवं निपटान हेतु निम्न जिलों में गठित किशोर न्याय बोर्ड में सामाजिक कार्यकर्ताओं का सदस्य के रूप में एतद्द्वारा मनोनयन किया जाता है:-

किशोर न्याय बोर्ड, उदयपुर

| क्र.सं. | चयनित सामाजिक कार्यकर्ता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) | बोर्ड में पद |
|---|---|---|
| **1** | डॉ. सैयद रिजवाना रिजवी पुत्री श्री सैयद इकरामुदिन रिजवी<br>**49** चुडिगारो का मोहल्ला उदयपुर, राजस्थान | महिला सदस्य |
| **2** | रेखा कुमारी चौहान पत्नी श्री ललित किशोर खीचा<br>**157** ए ब्लॉक भुपालपुरा हाउसिग को आपरेटिव के सामने प्रताप नगर उदयपुर, राजस्थान | सदस्य |

किशोर न्याय बोर्ड, अलवर

| क्र.सं. | चयनित सामाजिक कार्यकर्ता का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) | बोर्ड में पद |
|---|---|---|
| **1** | चन्द्रशेखर श्शर्मा पुत्र रामअवतार श्शर्मा<br>बी. **75** हसन खां मेवाती नगर अलवर, राजस्थान | सदस्य |

किशोर न्याय **(**बालकों की देखरेख और संरक्षण**)** अधिनियम**, 2015** की धारा **4(7)** एवं आदर्श नियम**, 2016** के नियम **5** में वर्णित प्रावधानों के तहत बोर्ड में मनोनीत सदस्यों का सम्यक जांच उपरान्त मनोनयन समाप्त किया जा सकेगा।

किशोर न्याय बोर्ड में मनोनीत सदस्य का कार्यकाल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से **3** वर्ष के लिए होगा।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल,
**आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।**



**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**